# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-407RAAJodhpur2024-158RTA223 Parasmal ors Vs Suresh Kumar etc

01. पारसमल पुत्र श्री उम्मेदाराम जाति हरिजन, निवासी– शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
02. खेताराम परिहार पुत्र श्री ताजाराम परिहार, जाति मेघवाल, निवासी– साई, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

**अपीलाण्ट्स ...**

**ब**

**ना**

**म**

1. सुरेश कुमार पुत्र घेवरराम, जाति मेघवाल, निवासी– उदयनगरी, सदरी, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर वर्तमान फलोदी।
2. दीपाराम पुत्र श्री सुखाराम, जाति गुरू, निवासी– रामगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2024 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 13/2013 सुरेश कुमार बनाम दीपाराम इत्यादि**

---

**उपस्थित–**

श्री अनिल राठी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

## नि र्ण य

**दिनांक : 22 जनवरी 2025**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/2013 अनवान सुरेश कुमार बनाम दीपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1229 रकबा 19.7082 हैक्टेयर ग्राम शेरगढ तहसील शेरगढ के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जून 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सहित अपीलांट की अन्य आराजीयात के संबंध में विचारण न्यायालय में पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जो अदालत हाजा द्वारा स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की गई। वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विभाजन हो चुका है तथा पक्षकारान् वक्त खरीद रजिस्ट्री में दर्शित भू–भाग अनुसार अपने–अपने कब्जे काश्त अनुसार काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता की सहमति दर्शाते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा उनकी ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की आड़ में अपने नाम दर्ज हिस्से से अधिक हिस्से पर कब्जा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्रामीण तबके के व्यक्ति है तथा मयाद के कानून से अनभिज्ञ है। इस कारण वे समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाये। अपीलांट्स द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं की गई है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/2013 अनवान सुरेश कुमार बनाम दीपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2024 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अधिवक्तागण की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1229 रकबा 19.7082 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार शेरगढ को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री में किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि उभय पक्ष वक्त खरीद से रजिस्ट्री में दर्शित हदूदो अनुसार काबिज काश्त है। इस संबंध में तहसीलदार शेरगढ को वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी मौके की स्थिति को ध्यान में रखने के निर्देश दिये जाने न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/2013 अनवान सुरेश कुमार बनाम दीपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा जहां तक संभव हो पक्षकारान् के कब्जे काश्त के बिंदु को भी ध्यान में रखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

# डिक्री बसीगे अपील

**अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर**

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-407RAAJodhpur2024-158RTA223 Parasmal ors Vs Suresh Kumar etc

| **अपीलाण्ट** | | **रेस्पोडेण्ट** |
|---|---|---|
| 01. पारसमल पुत्र श्री उम्मेदाराम जाति हरिजन, निवासी– शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।<br>02. खेताराम परिहार पुत्र श्री ताजाराम परिहार, जाति मेघवाल, निवासी– साई, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर। | **ब ना म** | 1. सुरेश कुमार पुत्र घेवरराम, जाति मेघवाल, निवासी– उदयनगरी, सदरी, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर वर्तमान फलोदी।<br>2. दीपाराम पुत्र श्री सुखाराम, जाति गुरू, निवासी– रामगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।<br>3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2024 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 13/2013 सुरेश कुमार बनाम दीपाराम इत्यादि**

---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 22 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री अनिल राठी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/2013 अनवान सुरेश कुमार बनाम दीपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा जहां तक संभव हो पक्षकारान् के कब्जे काश्त के बिंदु को भी ध्यान में रखा जावे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 22 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

| अपीलाण्ट | राशि | रेस्पोडेण्ट | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील<br>2. स्टाम्प वकालतनाम<br>3. इजराय हुक्मनामा<br>4. वकील फीस बाबत<br>मीजान | / | 1. स्टाम्प वकलातनामा<br>2. स्टाम्प अर्जी<br>3. इजराम हुक्मनामा<br>4. मेहनताना वकील<br>मीजान | / |

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर